लोक–सुनवाई का वृत

मेसर्स..साइेब कन्स्ट्रक्शन, प्रो–श्री साहेब राय, बड़ा तेलपा, भिखारी चौक, जिला–सारण, द्वारा गंगा नदी के घेंघटा तेलपा घाट (ब्लॉक–6) मौजा–मकदुमगंज, पो०–सदर, छपरा जिला–सारण, में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक–सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में दिनांक–09.08.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रखण्ड सभागार, प्रखंड.–छपरा जिला–सारण के प्रांगण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, सं0– एस. ओ. 1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के तहत् राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0ओ0आर0 (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या. SIA/BR/MIN/414753/2023 दिनांक.16.02.2023 के आलोक में मो० मुमताज आलम, अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)**

प्रसंगाधीन लोक–सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा– प्रभात खबर एवं हिन्दुस्तान के माध्यम से दिनांक 07.07.2023 को प्रकाशित की गई है। **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक सुनवाई के दौरान श्री एस०एन० ठाकुर, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, मुजफ्फपुर के द्वारा अपर समाहर्त्ता महोदय, खनिज विकास पदाधिकारी, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सारण एवं लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय एवं खनन पट्टाधारक का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्त्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक–सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया।

तदोपरांत परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री शत्रुधन प्रसाद ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि–

1. यह बालू खनन पट्टा घेंघटा तेलपा घाट (ब्लॉक–6) गंगा नदी के मौजा–मकदुमगंज, थाना–सदर, छपरा, प्रखण्ड–छपरा, जिला–सारण, में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री साहेब राय, पिता–श्री बबन राय को इस खनन पट्टा के लिए वैधान्तिक स्वीकृति आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा घेंघटा तेलपा घाट (ब्लॉक–6) से प्रतिवर्ष 2,40,039 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत 2.5 करोड़ (निलामी लागत सहित) अनुमानित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में बालूघाट के ब्लॉक–6 में घेंघटा तेलपा घाट को सम्मिलित किया गया है।
2. बालू खनन पट्टा के सीमा के अन्दर "वैज्ञानिक विधि" तथा अनुमोदित "खनन योजना" के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाए गए है।
3. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोइ नुकसान नहीं हो।
4. खनन का कार्य केवल 3 मीटर गहराई तक अथवा भूगर्भीय जल सतह के उपर तक ही सीमित रहेगा।

5. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी या वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। इस मार्ग के रख–रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
6. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे– मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
7. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है, जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य पेड़ लगाएं जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पॉच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
8. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दवाब वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही निकासी किया जाएगा।
9. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणें के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। नदी से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर परिवहन किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र किया जाएगा। वहां से बालू (खनिज) से रिसने वाला जल, मार्गों को जलमग्न नहीं होने देना है। बालू (खनिज) में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन को नियंत्रण करेगा।
10. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा।
11. खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
12. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय–समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं–

क्रमांक	प्रतिक्रिया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री राजेन्द्र प्रसाद राय, अध्यक्ष, ट्रक एसोसिएसन संघ, सारण – इनके द्वारा प्रस्तावित बालू खनन परियोजना के लोक सुनवाई में उपस्थित पदाधिकरियों एवं आम जनता का स्वागत किया गया। इनके द्वारा अनुरोध किया गया कि नया पेड़ लगाने के साथ–साथ उपलब्ध पेड़ पौधों की धुल–कण से सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। विभाग द्वारा दिए गए निदेशों का पालन नहीं करने वाले के विरूद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। पहुँच पथ पर नियमित रूप से जल छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिए। सारण जिला में बालू के परिवहन के कारण धुल–कण की विकट समस्या है। वाहनों से भी प्रदुषण होता है। कम उम्र के बच्चों द्वारा	इनके द्वारा अवगत कराया गया कि धुलकण को नियंत्रण करने के लिए सड़कों पर नियमित रूप से जल छिड़काव कराया जाएगा। पहुँच पथ के दोनों तरफ वृक्षारोपण कर देख–रेख की जाएगी। अपर समाहर्त्ता महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया कि कम उम्र के चालकों पर रोक लगाने के लिए संबंधित विभाग से जाँच कराई जाएगी। बालू का लोडिंग नियमतः कराने के लिए समय–समय पर जाँच कराई जाएगी।

2

	ट्रैक्टर एवं ट्रक चलाया जाता है जिसके कारण दुर्घटना होती रहती है। गाड़ी पर ओभरलोडिंग नहीं हो इससे सड़क टुटती है। सड़क के किनारे बालू गिरने से धुल–कण की समस्या होती है। कम लोड़ करने वाले वाहनों से हो रहे अवैध उगाही पर रोक लगाई जाए।	
2.	श्री.राम लाल राय, रौजा पोखरा–इनके द्वारा अनुरोध किया गया कि बालू का परिवहन क्रम में काफी धुलकण उड़ती है। इसका रोकथाम की व्यवस्था होना चाहिए।	नियमित रूप से जल छिड़काव, बालू को त्रिपाल से ढ़क कर एवं नियमानुसार गाड़ी पर बालू का लोडिंग कराया जाएगा ताकि धुलकण की समस्या उत्पन नहीं हो।
3.	श्री संजय कुमार, जलालपुर– ओभरलोडिंग के कारण बालू सड़क पर गिरती है जिसके कारण दुर्घटनाएँ होती रहती है। इस पर नियमतः कार्रवाई की जाय।	गाड़ी पर बालू का ओभरलोडिंग नहीं किया जाएगा। विभाग द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जाँच कराई जाएगी। एवं दोषी पाए जाने वाले वाहनों मालिकों को दण्डित किया जाएगा।
4.	श्री अजय कुमार खलपुरा–खनन पट्टा क्षेत्र के पास 4 विद्यालय है बालू परिवहन एवं अधिक गाड़ी के चलने के कारण सड़कों में गढ़ा हो गया है। सड़क के किनारे धुल जमा रहता है। फलदार पेड़ धुलकण से ढ़के रहने के कारण फल नहीं दे पाता है साथ ही पास के फसलों का नुकसान होता है। इनके द्वारा अनुरोध किया गया कि सड़क का ध्यान दिया जाना चाहिए।	धुलकण को नियंत्रित करने के लिए बालू के बंदोबस्तधारी द्वारा विभाग के निर्देशानुसार जल छिड़काव, त्रिपाल से ढ़क कर ढुलाई की जाएगी।

खनिज विकास पदाधिकारी, सारण द्वारा लोगों को आश्वासन दिया गया कि बालू खनन एवं परिवहन का कार्य नियमानुसार कराया जाएगा। नियमों का पालन नहीं करने वालों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

लोक–सुनवाई के समापन में अपर समाहर्ता सह सभा के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि बालू एक नैसर्गिक स्रोत है जिसका संवेदनशील तरीके से उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके अत्याधिक दोहन से पर्यावरण को काफी नुकसान होने से इन्कार नहीं किया जा सकता, साथ ही इसका समुचित निकासी से स्थानीय एवं राज्य स्तर पर आर्थिक लाभा होता है। पर्यावरण के सुरक्षा एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपाए सुझाए गए हैं। नियमों का पालन नहीं होने संबंधि सूचना जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा।

लोक–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता द्वारा सर्वसम्मति से प्रत्येक बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक–सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

9.8.2023

क्षेत्रीय पदाधिकारी,
बिहार राज्य प्रदुर्षण नियंत्रण पर्षद,
मुजफ्फरपुर

अपर समाहर्त्ता,
सारण।

उपस्थिति सूची

मेसर्स साहेब कन्सट्रक्शन, प्रो० श्री साहेब राय, पिता-श्री बबन राय, बड़ा तेलपा, भिखारी चौक, सारण द्वारा गंगा नदी के घेघटा तेलपा घाट (ब्लॉक-06) मौजा-मखदुमगंज, पो०-सदर छपरा, प्रखंड-छपरा, जिला-सारण में बालू खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 09.08.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रखंड सभागार, छपरा, जिला- सारण में आयोजित लोक-सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	ADM Chapra	Saran.	[signature] 9/8/23
2.	S. N. Thakur.	Regional Officer. Muzaffarpur.	[signature] 9/8/2023
3.	Upendra Thakur	GM. DIC, Saran	[signature] 9/8/23
4.	Lal Bihari Prasad	MDO, Saran	[signature] 9.8.2023
5.	Kumwar Bijendra pratap Rahi	Mining Inspector, D.M.O. Saran	Bijendra pratap 09.08.2023
6.	Shatrughan Prasad	Ocean - Enviro.	S. prasad 09.08.2023
7.	राम लाल राय	[illegible]	[signature]
8.	Vidya Bhushan [illegible]	Ghirand, Dorigani Saran	[signature]
9.	राजेन्द्र प्रसाद राय	अध्यक्ष - सारण जिला [illegible] ऑनर एसोसिएशन -	[signature] 09.08.23
10.	Dinesh [illegible]	तेलपा थाना नगर [illegible]	[signature] 9/8/23

11.	Sanjay Kumar	vill - Telpa Thana - Town thana	Sanjay 09/08/23
12.	Braj Kumar	vill - Singhi thana Doriganj	09/08/2023
13.	Abhay Kumar	Singahi P.S. Doriganj	Abhay Kumar 09/08/2023
14.	Anil yadav.	vill - Bara Telpa. P.S - Town Chapra Sadar	Anil yadav
15.	Mukesh Kumar	Singahi P.S Doriganj	Mukesh
16.	उदित राय	सिंगही डोरीगंज	उदित राय
17.	Ranjan Kumar Shukla.	KHALPULAR, CHPRA Saran	Ranjan Kumar Shukla
18.	Priya Ranjan Kr Singh	vill+PO - Khalpura Chhapra Saran	Priya Ranjan Kr Singh
19.	जगलाल सिंह	खलपुरा छपरा (सारण)	जगलाल सिंह
20.	मोहन राय	मखदुम गंज छपरा सारण	मोहन राय
21.	शंकर राय	मखदुम गंज छपरा सारण	शंकर राय
22.	त्रिभुवन राय	मखदुमगंज छपरा सारण	त्रिभुवन राय
23.	अजय कुमार सिंह	खलपुरा थाना छपरा मुफस्सिल जिला सारण	अजय कुमार सिंह
24.	अखिलेश कुमार सिंह	खलपुरा थाना छपरा मुफ छपरा, सारण	अखिलेश कुमार सिंह
25.	ललन सिंह	खलपुरा छपरा सारण	ललन सिंह

26.	बृज मोहन प्र०	डोरीगंज	[signature]
27.	प्रह्लाद राय	डोरीगंज	प्रह्लाद राय
28.	राज किशोर यादव	डोरी गंज	रा. कि. या.
29.	ब्रजेश राय	सोनपुर	[signature]
30.	ललन राय	सोनपुर	Lalan Ray
31.	दिलीप यादव	डोरी गंज	दिलीप यादव
32.	अमित कुमार सिंह	रतनपुरा मुफस्सील सदर	Amit Kumar Singh
33.	राजीव कु० सिंह	रतनपुरा मुफस्सिल सदर	राजीव कु० सिंह
34.	राजेन्द्र राय	रतनपुरा मुफस्सिल	
35.	जयेश कुमार सिंह	रतनपुरा छपरा (सारण)	Jaish Kumar Singh
36.	मुकेश कु० सिंह	रतनपुरा छपरा (सारण)	मुकेश कु० सिंह
37.	राजू राय	छपरा	राजू राय
38.	अमीर राय	डोरीगंज	अमीर राय
39.	रुपन राय	डोरीगंज	रुपन कुमार
40.	सत्यप्रकाश	संठा (मौजमपुर)	सत्यप्रकाश कु०

41.	कौशल कुमार	संडा मोजमपुर	कौशल कुमार
42.	विकाश कुमार	संडा मौजमपुर	विकाश कुमार
43.	राजू कुमार	सिरवाड़ी चौक	राजू कुमार
44.	रंजीत कुमार	रौजा	रंजीत कुमार
45.	राजकुमार	बड़ातेलप मठिया	
46.	Amit Kr. Singh.	Env. Consultant	AKsingh
47.	Surendra SINGH	vill-Khalpura	Surendra Singh.
48.	[illegible]	किशुनपुरा उपमुखिया	[illegible]
49.	अमिताभ बच्चन यादव	शेरपुर	Abhitabh
50.	Mukesh Kumar Yadav	Sherpur West Basti	Mukesh Kumar Yadav
51.	Pappu Roy	Sandha	Pappu Roy
52.	Mukesh Kumar	Sandha	Mukesh
53.	आकाश	कुमार	आकाश कुमार
54.	सोनू राज	बड़ तेलपा	sonu raj
55.	————	————	————

[signature] 9/8/2023